INDIA NON JUDICIAL 4531/22

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

[illegible] valid only if base e-stamp certificate [illegible]

[illegible]	IN-UP77185080134591U
Rectified Certificate No.	IN-UP77514584670430U
[illegible] Issued Date	26-Aug-2022 01:55 PM
[illegible]	NEWIMPACC (SV)/ up14173504/ SIRATHU/ UP-KSM
[illegible]	SUBIN-UPUP14173504473484384289490
[illegible]	RD SM P Coll Of Pharmacy Rep by AjayKumar Tripathi
[illegible] of Document	Article 35 Lease
[illegible]	[illegible] Gata No 524 And 525 Se Lease
[illegible]	
[illegible]	R D S M P M V Represent by Ajay Kumar Tripathi
[illegible]	RD SM P Coll Of Pharmacy Rep by AjayKumar Tripathi
[illegible]	RD SM P Coll Of Pharmacy Rep by AjayKumar Tripathi
[illegible]	2,880 (Two Thousand Eight Hundred And Eighty only)

[illegible] RAJPOOT ... 14173504 Lic. No ... CODE ... BEECH KA PURWA, ... SIRATHU, KAUSHAMBI

0000380991

किरायेनामा (लीज)

अवधि–29वर्ष 11 माह
मासिक किराया–1,000/
औसत वार्षिक किराया–12,000/
मालियत–72,000/
स्टाम्प–2,880/
ई–स्टाम्प नं0–IN-UP 77185080134591U, INUP 77514584670430U

मैं प्रथमपक्ष रमादेवी शिवमंगल प्रसाद महाविद्यालय के प्रबन्धक अजय कुमार त्रिपाठी व द्वितीय पक्ष रमादेवी शिवमंगल प्रसाद कालेज आफ फार्मेसी के प्रबन्धक अजय कुमार त्रिपाठी को जानता हूँ उपरोक्त का ही चित्र है।

प्रथमपक्ष/भूमिस्वामी

1. रमादेवी शिवमंगल प्रसाद महाविद्यालय वार्ड नं0–1 भौतर अझुवा कौशाम्बी के द्वारा प्रबन्धक अजय कुमार त्रिपाठी पुत्र शीतला प्रसाद त्रिपाठी निवासी– वार्ड नं0–1 भौतर न0पं0 अझुवा परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

आधार– xxxx xxxx 6223 मो0–9935637117

द्वितयपक्ष / किरायेदार

2. रमादेवी शिवमंगल प्रसाद कालेज आफ फार्मेसी वार्ड नं0–1 भौतर न0पं0 अझुवा जनपद कौशाम्बी के द्वारा प्रबन्धक अजय कुमार त्रिपाठी पुत्र शीतला प्रसाद त्रिपाठी
वार्ड नं0–1 भौतर न0पं0 अझुवा परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।
आधार– ×××× ×××× 6223 मो0–9935637117

चौहद्दी

पूरब	: स्कूल की जमीन।
पश्चिम	: चकरोड भौंतर।
उत्तर	: स्कूल की जमीन।
दक्षिण	: जी0टी0 रोड NH-2

जो कि हम उभयपक्ष आपस में खूब सोंच विचार करके बिना किसी के डराये धमकाए अपनी पूर्ण रजामन्दी की दशा में स्वेच्छापूर्वक शुद्ध–बुद्धि की दशा में पूर्ण होश हवास की स्थिति में निम्नलिखित किरायेनामा के बावत शरायत तहरीर करते हैं–

1. यह कि प्रथमपक्ष अपनी मौजा भौंतर परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में स्थित गाटा सं0–524 रकबा 0.272हे0 व 525 रकबा 0.263हे0 कुल दो गाटा का कुल रकबा 0.535हे0 का पूर्ण मालिक स्वामी बतौर प्रबन्धक व मालिक काबिज दखील है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सिराथू कौशाम्बी द्वारा उपरोक्त गाटा सं0 524 रकबा 0.272हे0 व 525 रकबा 0.263हे0 कुल दो गाटा का कुल रकबा 0.535हे0 भूमि वाद सं0–2 सन 2009 धारा 143ज0वि0अ0 के अन्तर्गत दिनांक 30.10.2009 को अकृषिक / व्यवसायिक घोषित किया गया है।
2. यह कि प्रथमपक्ष अपनी उक्त भूखंड सं0– 524 व 525 कुल क्षेत्रफल 5350वर्ग मी0 मे भवन निर्मित है एवं खाली मैदान / फील्ड को द्वितीयपक्ष अजय कुमार त्रिपाठी की उक्त संस्था रमा देवी शिव मंगल प्रसाद कालेज आफ फार्मेसी को म0–1,000 / रू0 एक हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मियाद 29 वर्ष 11 माह के लिए किराये पर दे रहा है।

3. यह कि किराया नामा 26.08.2022 से प्रभावी होगा जिसकी मियाद 29वर्ष 11 माह के लिए होगी। बाद मियाद 29 वर्ष 11 माह के बाद यह किरायेनामा स्वतः समाप्त माना जायेगा।
4. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि मैदान व उस पर निर्मित भवन को रमादेवी शिवमंगल प्रसाद कालेज आफ फार्मेसी संस्था संचालन हेतु किराये पर ले रहा है।
5. यह कि किराये की रकम का भुगतान नकद दोनो पक्षो के पूर्ण सहमति पर किया जाता रहेगा। साह ही संस्था की जो समय सीमा मानक के अनुसार तय है उसमें प्रथम पक्ष हर तरह से हमेशा सहमत रहेगा।
6. यह कि किरायेदारी मियाद अवधि तक किराये पर दी गयी भूमि भवन को भूमि स्वामी प्रथम पक्ष को भूमि व भवन को विकय करने या अन्य किसी के पक्ष मे रेहन या बंधक रखने का कोई हक व अधिकार कतई न होगा।
7. यह कि किरायेदारी के बावत प्रथम पक्ष या उनके वारिसानो को किरायेदारी मियाद अवधि तक किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न होगा।
8. यह कि मियाद के बाद यदि दोनो पक्ष जिन शर्तो पर किरायेदारी के लिए सहमत होंगे तो मियाद अवधि के बाद दूसरा किरायेनामा उन्ही शर्तो के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
9. यह कि द्वितीयपक्ष को पूर्ण हक अधिकार है कि अपनी संस्था के रूल नियमों के अनुसार जैसा चाहे संस्था संचालित करे, इसमें किसी को कोई विरोध एतराज नही होगा।
10. यह कि किराया मु0–1,000/रू0 एक हजार रू0 वार्षिक दर से वार्षिक किराया का 6 गुना मालियत पर मु0–20/रू0 प्रति हजार की दर से व नगरीय क्षेत्र के विकास स्टाम्प शुल्क मु0–20/रू0 प्रति हजार की दर से अतिरिक्त जोड़कर कुल स्टाम्प मु0–2,880/रू0 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
11. यह कि उपरोक्त भूमि नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर व अधिग्रहण क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा जी0टी0 रोड से लगी हुई है।

विवरण किरायेपर दी गयी भूमि

जो मौजा भौंतर परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में स्थित है। जो कि गाटा सं0–524 रकबा 0.272हे0 व 525 रकबा 0.263हे0 कुल दो गाटा का कुल रकबा 0.535हे0 अकृषिक/व्यवसायिक दर्ज भूमि का क्षेत्रफल सम्पूर्ण 0.535हे0 यानी 5350वर्ग मी0 भूमि को प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किराये पर संस्था उपरोक्त चालाने हेतु किराये पर दिया जा रहा है।

अतएव यह थोड़े से शब्द किरायेनामा/लीजडीड के लिख दिया कि प्रमाण रहें और समय पर काम आवे।

ह0 प्रथमपक्ष–

ह0 द्वितीयपक्ष–

गवाह नं0– 1. संजय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

निवासी–छीमी पुरइन तहसील खागा

जनपद फतेहपुर।

मो0– 9125042250

गवाह नं0– 2. राजेश कुमार अवस्थी पुत्र रणजीत प्रसाद

निवासी–धुमाई पर0 कडा तह0 सिराथू

जनपद कौशाम्बी।

मो0–9621705167

ह0 प्रथमपक्ष–

ह0 द्वितीयपक्ष–

गवाह नं0– 1. संजय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

निवासी–छीमी पुरइन तहसील खागा

जनपद फतेहपुर।

मो0– 9125042250

गवाह नं0– 2. राजेश कुमार अवस्थी पुत्र रणजीत प्रसाद

निवासी–धुमाई पर0 कडा तह0 सिराथू

जनपद कौशाम्बी।

मो0–9621705167

ह0 प्रथमपक्ष–

ह0 द्वितीयपक्ष–

मसविदाकर्ता – चन्द्रशेखर सिंह एडवोकेट
तहसील सिराथू कौशाम्बी।
पंजीयन सं0–

कम्प्यूटर टाईपकर्ता– कमल सिंह ।

दिनांक–25.08.2022